**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 13 फरवरी, 2017

**संख्या लैज. 32/2016.–** दि हरियाणा टैक्स ऑन लॅग्ज़्युॲरइज (ॲमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2016 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 6 फरवरी, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

**2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 28**

# हरियाणा सुख–साधन कर (संशोधन) अधिनियम, 2016
## हरियाणा सुख–साधन कर अधिनियम, 2007,
## को आगे संशोधित
## करने के लिए
## अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

**1.** यह अधिनियम हरियाणा सुख–साधन कर (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। — संक्षिप्त नाम ।

**2.** हरियाणा सुख–साधन कर अधिनियम, 2007 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:– — 2007 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 2 का संशोधन ।

'(छछ) ''इलैक्ट्रोनिक शासन'' से अभिप्राय है,–

(i) किसी प्ररूप, विवरणी, अनुलग्नक, आवेदन, घोषणा, प्रमाण–पत्र, अपील ज्ञापन, संसूचना, सूचना या कोई अन्य दस्तावेज दायर करने;

(ii) अभिलेखों का सृजन, सुरक्षित रख–रखाव या परिरक्षण करने;

(iii) वैधानिक घोषणा प्ररूप, आदेश, नोटिस, संसूचना, सूचना या प्रमाण–पत्र सहित कोई प्ररूप जारी करने या प्रदान करने; तथा

(iv) सरकारी खजाने या सरकारी खजाने द्वारा प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य भुगतान की प्राप्ति या उसका प्रतिदाय करने, के लिए इलैक्ट्रोनिक साधन का उपयोग;'।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 8 में,– — 2007 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 8 का संशोधन ।

(i) उप–धारा (1) में, अन्त में विद्यमान ''ः'' चिह्न के स्थान पर, ''।'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) उप–धारा (1) के बाद, विद्यमान परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा ।

**4.** मूल अधिनियम की धारा 9 में,– — 2007 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 9 का संशोधन ।

(i) उप–धारा (1) में, अन्त में विद्यमान ''ः'' चिह्न के स्थान पर, ''।'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) उप–धारा (1) के बाद, विद्यमान परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा ।

**5.** मूल अधिनियम की धारा 10 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:– — 2007 का हरियाणा अधिनियम 23 में धारा 10 क का रखा जाना ।

**''10क. कर के बदले में एकमुश्त राशि का भुगतान.–** (1) राज्य सरकार लोकहित में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो यह ठीक समझे, राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जाने वाले कारबार के विस्तार के किन्हीं उपयुक्त उपायों से सम्बद्ध, या उसमें से किसी कटौती सहित या के बिना कारबार की सकल प्राप्तियों की सपाट दर पर संगणित एकमुश्त राशि, प्रशमन के रूप में, किसी अवधि के लिए, भुगतानयोग्य कर के बदले में, स्वत्वधारियों के किसी वर्ग से स्वीकार कर सकती है । एकमुश्त राशि का भुगतान ऐसे अन्तरालों पर तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे स्वत्वधारियों के वर्ग के संबंध में, लेखों के रख–रखाव तथा विवरणियों को दायर करने को सरलीकृत करना विहित कर सकती है जो ऐसी प्रशमन की अवधि के दौरान लागू रहेगी ।

(2) कोई स्वत्वधारी, जिसका मामला उप–धारा (1) के अधीन प्रशमन किया गया है तथा लागू है, तो ऐसे निर्बन्धन तथा शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन निर्धारण प्राधिकारी को विहित रीति में विवरण रखने वाले किसी आवेदन को करते हुए ऐसे प्रशमन का चयन कर सकता है, और यदि आवेदन नियमानुसार हो, तो ऐसा प्रशमन ऐसी अवधि की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा ।''।

2007 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 11 का संशोधन।

**6.** मूल अधिनियम की धारा 11 में, उप–धारा (7), (8) और (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''(7) निर्धारण प्राधिकारी, धारा 24 के अधीन उसको प्रस्तुत की गई सूचना पर, आदेश द्वारा, किसी पंजीकरण प्रमाण–पत्र को संशोधित या रद्द करेगा तथा ऐसा संशोधन या रद्दकरण ऐसी तिथि, जो विहित की जाए, से प्रभावी होगा ।

(8) यदि–

(क) कोई कारबार जिसके संबंध में प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, बंद हो गया है; या

(ख) अधिनियम के अधीन किसी स्वत्वधारी का कर भुगतान करने का दायित्व समाप्त हो जाता है,

तो निर्धारण प्राधिकारी, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, पंजीकरण प्रमाण–पत्र रद्द करेगा ।

(9) कोई अधिकारी, जो जिले का उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त प्रभारी की पदवी से नीचे का न हो, ऐसी रीति में, ऐसे निर्बन्धन और शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन पंजीकरण प्रमाण–पत्र रद्द कर सकता है ।''।

2007 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 13 का संशोधन।

**7.** मूल अधिनियम की धारा 13 में, उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(1) धारा 14 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी प्रत्येक स्वत्वधारी या ऐसा स्वत्वधारी, जिससे विहित रीति में नोटिस द्वारा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षा की जाए, वर्ष की समाप्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर, निर्धारण प्राधिकारी को विवरणी ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा, जो विहित किया जाए ।''।

2007 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 14 का संशोधन।

**8.** मूल अधिनियम की धारा 14 में,–

(i) उपांतिक शीर्ष में, ''अग्रिम में'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ii) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(1) इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी प्रत्येक स्वत्वधारी या ऐसा स्वत्वधारी, जिससे विहित रीति में नोटिस द्वारा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षा की जाए, मास की समाप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे विवरण के अनुसार उसकी ओर देय कर की सम्पूर्ण राशि विवरण में दर्शाते हुए, उसे ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा, जो विहित किया जाए ।''।

2007 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 33 का संशोधन।

**9.** मूल अधिनियम की धारा 33 में,–

(i) उपांतिक शीर्ष में, ''अशुद्धि का परिशोधन'' शब्दों के स्थान पर, ''लेखन भूलों का परिशोधन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(1) कोई निर्धारण प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी, किसी समय पर, किसी मामले में उस द्वारा पारित आदेशों की प्रति उपलब्ध करवाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर, मामले के अभिलेख से प्रकट कोई लेखन या गणितीय भूल का परिशोधन कर सकता है:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश उस द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।''।

2007 का हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 34 का संशोधन ।

**10.** मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''**34. अधिक कर, शास्ति तथा ब्याज का प्रतिदाय.–** (1) निर्धारण प्राधिकारी किसी स्वत्वधारी को इस अधिनियम के अधीन उसकी ओर देय राशि से अधिक उस द्वारा भुगतान की गई शास्ति तथा ब्याज की राशि सहित कर की राशि का प्रतिदाय करेगा और ऐसा प्रतिदाय, प्रतिदाय आदेश के रूप में या समायोजन आदेश के रूप में किया जा सकता है; बशर्ते कि प्रतिदाय का दावा केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसने वास्तव में कर के भार को झेला है और इस प्रकार झेल गए कर के भार को साबित करने का भार उस पर होगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति को प्रतिदेय किसी राशि का प्रतिदाय ऐसे आदेश की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो निर्धारण प्राधिकारी प्रतिदाय के दिन से उक्त नब्बे दिन की समाप्ति से ठीक बाद की तिथि से उक्त राशि पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा:

परन्तु किसी व्यक्ति से किसी वर्ष के लिए तिथि, जिससे ऐसा ब्याज संगणनीय है, को इस अधिनियम के अधीन देय कोई कर, शास्ति या अन्य राशि को प्रतिदेय राशि में से समायोजित करने के बाद बकाया शेष राशि पर ब्याज संगणित किया जाएगा ।

**व्याख्या**.–यदि नब्बे दिन की पूर्वोक्त अवधि के भीतर प्रतिदाय करने में विलम्ब, व्यक्ति, जिसको प्रतिदाय भुगतानयोग्य है, को आरोप्य है, तो ऐसे विलम्ब की अवधि ब्याज की संगणना के प्रयोजन के लिए निकाल दी जायेगी ।

(3) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां प्रतिदाय में बढ़ोतरी करने वाला कोई आदेश किसी अपील या किन्हीं अतिरिक्त कार्यवाहियों की विषयवस्तु है और निर्धारण प्राधिकारी की राय है कि प्रतिदाय प्रदान करने से राज्य राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो उक्त अधिकारी, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे समय, जो आयुक्त अवधारित करे, तक प्रतिदाय रोक सकता है ।''।

**11.** मूल अधिनियम की धारा 40 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:– 2007 का हरियाणा अधिनियम 23 में धारा 40 क तथा 40 ख का रखा जाना ।

''**40क. इलैक्ट्रोनिक शासन का लागूकरण.–** (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, राज्य सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए इलैक्ट्रोनिक शासन लागू कर सकता है।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, तो आयुक्त, विवरणियों, आवेदनों, घोषणाओं, अनुलग्नकों, अपील ज्ञापन, लेखापरीक्षा रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज के लिए प्ररूपों को संशोधित या जोड़ सकता है जो इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं।

(3) आयुक्त, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इलैक्ट्रोनिक शासन के लिए इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित अवधि बढ़ा या घटा सकता है।

**40ख. स्वचलीकरण.–** (1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा दिए गए निर्देशों में दिए गए उपबन्ध, इसमें डिजिटल हस्ताक्षरों, इलैक्ट्रोनिक शासन, आरोपण, अभिस्वीकृति तथा इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड के प्रेषण, सुरक्षित इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड तथा सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षरों तथा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्रों से सम्बन्धित उपबन्ध भी शामिल हैं, इलैक्ट्रोनिक शासन के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रक्रिया को लागू होंगे।

(2) जहां किसी स्वत्वधारी की कोई विवरणी, अनुलग्नक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, दस्तावेज, आवेदन, प्ररूप इसमें वैधानिक घोषणा प्ररूप, प्रमाण–पत्र, संसूचना या सूचना भी शामिल है, कार्यालय वैबसाईट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से प्राप्त किया गया है, तो ऐसी विवरणी, अनुलग्नक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, दस्तावेज, आवेदन, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा प्ररूप, प्रमाण–पत्र, संसूचना या सूचना भी शामिल है, ऐसे स्वत्वधारी द्वारा उसकी सहमति से प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा।

(3) जहां पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आदेश, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा, प्रमाण–पत्र, नोटिस तथा संसूचना भी शामिल है, किसी स्वचलित डॉटा संसाधन प्रणाली पर तैयार किया गया है और किसी स्वत्वधारी को भेजा गया है, तब, उक्त पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आदेश, प्ररूप इसमें वैधानिक घोषणा, प्रमाण–पत्र, नोटिस या संसूचना भी शामिल है, आयुक्त या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आदेश, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा, प्रमाण–पत्र, नोटिस या संसूचना भी शामिल है, केवल इस आधार पर अवैध नहीं समझा जाएगा कि यह आयुक्त या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

55006—L.R.—H.G.P., Chd.